फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय का नाम :–उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

केस सं.   /202.......

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	28.3.25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। पुकारिश की पालना में पत्रावली दिनांक 9/5/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर
	9.5.25	पत्रावली पेश हुई। वादी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। वादी को आज न्यायालय में पृथक-पृथक समय पर तीन-तीन बार आवाजे लगवायी गयी। बावजूद आवाज लगवाने जाने के उपरांत भी वादी के न्यायालय में हाजिर नहीं आने के कारण पत्रावली अन्तर्गत आदेश-9 नियम-3 जा०दी० के तहत अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर